



Secretary & Commissioner
Panchayatiraj Department
Government of Rajasthan
शासन सचिव एवं आयुक्त
पंचायतीराज विभाग
राजस्थान सरकार

Rajesh Yadav, I.A.S.

राजेश यादव, आई.ए.एस.

अ.शा.क्रमांक:—एफ.17(ई)ग्रावि/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.दिवस/2014/1538 जयपुर दिनांक:— 21 मई, 2014

प्रिय श्री

मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के नियमित पर्यवेक्षण एवम् योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जून 2014 से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है जिसे "पंचायत दिवस" के नाम से संचालित किया जायेगा। पंचायत दिवस की परिकल्पना किसी अभियान के रूप में न की जाकर एक सतत् कार्यक्रम के रूप में की गई है जो वर्षपर्यन्त नियमित रूप से संचालित होगा।

कार्यक्रम के अनुसार राज्य की समस्त पंचायत समितियों में दो समीपस्थ ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति के समस्त अधिकारी दो दल बनाकर सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को जायेंगे (अवकाश की अवस्था में अगले दिन) व ग्राम पंचायत की समस्त गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ लम्बित कार्यों का निपटारा भी किया जायेगा। इस संबंध में जारी किये गये आदेशों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। मेरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम न केवल फील्ड में अधिकारियों का नियमित भ्रमण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा वरन् ग्राम पंचायतों के कार्यों की समुचित समीक्षा तथा उन्हें सुव्यवस्थित करते हुए विकास की गति को तेज करने में सफल रहेगा।

मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जिलों में उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये राज्य सरकार की ओर से नेतृत्व एवम् दिशा प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम आपको एक अभिनव अवसर प्रदान करेगा कि आप इसका उपयोग कर, अपने जिले को 'खुले में शौच मुक्त' (ODF) बना सकें। राज्य सरकार का अब 'निर्मल भारत अभियान' पर विशेष बल रहेगा। आगामी 4-5 माह में आपके जिले की समस्त ग्राम पंचायतों पर 'पंचायत दिवस' कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इनमें आपके सक्रिय योगदान व नेतृत्व में आपका जिला 'खुले में शौच से मुक्त' (ODF) हो जाये ऐसा मेरा आग्रह है। इस कार्यक्रम की मानक परिचालन विधि (Standard Operating Procedure) इस पत्र के साथ संलग्न है। वर्तमान में यह कार्यक्रम केवल ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग की गतिविधियों हेतु ही परिकल्पित है। उत्तरोत्तर इनमें और विभागों को भी जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्मकाल की आगामी तिमाही को दृष्टिगत रखते हुये मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि आगामी तीन माह में फील्ड में जाने वाली टीम से पेयजल योजनाओं / हैण्ड पम्प संधारण के कार्यों पर विशेष ध्यान दिलवाने का प्रयास करावें। कृपया अपने जिले के पेयजल विभाग के अधिकारियों का "पंचायत दिवस" कार्यक्रमों में उपस्थित रह कर पेयजल योजनाओं एवम् हैण्ड पम्पों के संधारण में ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग का सहयोग करवाना सुनिश्चित करावें। प्रत्येक जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कार्यक्रम का प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। अतः आप पेयजल विभाग के अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को साथ लेकर विस्तृत कार्यक्रम बाबत चर्चा अवश्य कर लें।

मेरा आग्रह है कि आप इस कार्यक्रम को नियमित एवम् सफल बनाने की दिशा में एक योग्य टीम लीडर के रूप में अधीनस्थ अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करें।

सदभावी,

(राजेश यादव)

जिला कलेक्टर,
समस्त।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।

(राजेन्द्र शंकर मक्कड़)
अतिरिक्त आयुक्त